भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1047

बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

प्रवासी कामगारों संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति

1047. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री कुमार केतकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की नीति आयोग द्वारा तैयार प्रवासी कामगारों संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति को कब तक अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने की मंशा है;

(ख) क्या नीति तैयार करते समय कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार संघों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सिविल समाज संघटनों से परामर्श लिया गया था; और

(ग) क्या मसौदा नीति मई, 2020 में सरकार द्वारा यथाप्रस्तावित प्रवासी आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): नीति आयोग ने प्रवासी कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु उप-समूह का गठन किया है। इस उप समूह में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विषय विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों से सदस्य होंगे ताकि प्रवासी कामगारों से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जा सके।

(ग): ऐसे में, प्रवासी आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****